ऑन लाईन नं.GCMS2025/22

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 17/2025

श्री हंसराज गोदारा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह — (विक्रेता एवं मैनेजर)—
   मै0 ऐ—स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक—सी, 27,28,29,30, मुरब्बा नम्बर 15, किला नम्बर 21, रिधी—सिघी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर।
2. अजय आहुजा पुत्र श्री पूर्णचन्द —(मालिक)—
   मैसर्स :—ऐ—स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक—सी, 27,28,29,30, मुरब्बा नम्बर 15, किला नम्बर 21, रिधी—सिघी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

:: **निर्णय** :: **दिनांक : 15.04.2025**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2024 को दोपहर बाद 5.30 पी.एम को **मैसर्स** ऐ—स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक—सी, 27,28,29,30, मुरब्बा नम्बर 15, किला नम्बर 21, रिधी—सिघी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह (विक्रेता एवं मैनेजर), **को अपना परिचय देकर संस्थान की रसोई में फ्रिज के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को दुकान का मैनेजर होना बताया तथा संस्थान की रसोई में फ्रिज के अन्दर रखे 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) को आमजन** के बेचान वास्ते होना बताया। इसी **पनीर (खुला)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जॉच हेतू **पनीर (खुला) का** नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2025/22

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** 3 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम को विकेता से खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **पनीर (खुला)** का नगद भुगतान 300/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह (विकेता व मैनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह (विकेता व मैनेजर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पनीर (खुला)** 1 किलोग्राम को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखे डिब्बों में लेकर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक Formilin की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2503** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2503** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह (विकेता व मैनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2025/22

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 1265 / एक्ट / 2024 / 1265 दिनांक 23.10.2024 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2503 **Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह (विक्रेता व मैनेजर) मैसर्स** ऐ–स्क्वेयर लोंज, ब्लॉक–सी, 27,28,29,30, मुरब्बा नम्बर 15, किला नम्बर 21, रिधी–सिधी हाई स्ट्रीट, श्रीगंगानगर द्वारा **Sub-standard Food, Paneer** का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 31.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व मिथ्या कथन कारित करते हुए उक्त परिवाद प्रस्तुता किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण का कार्य तो परोसने का है, ना कि उसका उत्पादन करने का। अप्रार्थीगण द्वारा उत्पादन करने वाले की रसीद अनावेदक को सौंप दी थी, अगर उक्त उत्पादन में किसी प्रकार का सब स्टेण्डर्ड आता है तो उसके लिए उत्पादक ही जिम्मेवार है। अप्रार्थीगण की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नही बनती। उत्पादक को विभाग द्वारा न तो पक्षकार बनाया गया है ना ही उसके विरूद्व कोई कार्यवाही की गई है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण निर्दोष होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii)/51 FSSA Act-2006 का खारिज फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पनीर (खुला)** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 1265 / एक्ट / 2024 / 1265 दिनांक 23.10.2024 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2503 **Sub-standard Food.** होना पाया गया, उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्व मिथ्या कथन कारित करते हुए उक्त परिवाद प्रस्तुता किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण का कार्य तो परोसने का है, ना कि उसका उत्पादन करने का। अप्रार्थीगण द्वारा उत्पादन करने वाले की रसीद अनावेदक को सौंप दी थी, अगर उक्त उत्पादन में किसी प्रकार का सब स्टेण्डर्ड आता है तो उसके लिए उत्पादक ही जिम्मेवार है। अप्रार्थीगण की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नही बनती। उत्पादक को विभाग द्वारा न तो पक्षकार बनाया गया है ना ही उसके विरूद्व कोई कार्यवाही की गई है। अतः अप्रार्थीगण निर्दोष होने के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2025/22

कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii)/51 FSSA Act-2006 का खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Paneer" bearing Code No and Sr. No. K-2503, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulations, 2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह (विक्रेता व मैनेजर)** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह (विक्रेता व मैनेजर)** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **श्री अंग्रेज सिंह पुत्र केवल सिंह (विक्रेता व मैनेजर)** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर।